



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266516
CG-DL-E-29092025-266516

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4257]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/ आश्विन 4, 1947

No. 4257]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2025

का.आ. 4376(अ) — केंद्र सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3 उप-खंड(ii) में प्रकाशित दिनांक 15 मई, 2023 की अधिसूचना का.आ. 2222 (अ) को प्रकाशन की तिथि से तत्काल प्रभाव से संशोधित करती है, अर्थात्: -

(1) केंद्रीय सरकार, डॉ. मुथुकुमारसामी बी., संयुक्त सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को उक्त अधिनियम की धारा 5(1)(ज) के अंतर्गत भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड का सदस्य नामित करती है।

[फा.सं. वी-11/18/2019-प्रशा. 6]

श्री के. गुरुमूर्ति, संयुक्त सचिव

नोट: भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन से संबंधित पूर्व अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 2222 (अ) दिनांक 15 मई, 2023 के जरिए प्रकाशित हुई थी और जिसे का.आ. 2353(अ) दिनांक 22 मई, 2023, का.आ. 3911(अ) दिनांक 01 सितंबर, 2023, एस.ओ. 1817 दिनांक 19 सितंबर, 2024 के जरिए संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**Department of Animal Husbandry and Dairying****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2025

S.O. 4376(E)— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and Section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby amends the notification S.O. 2222(E) dated 15th May, 2023 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section(ii) by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying with immediate effect from the date of publication, namely:-

- (1) The Central Government hereby nominates Dr. Muthukumarasamy B., Joint Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying as member of the Animal Welfare Board of India under Section 5(1)(h) of the said Act.

[F. No. V-11/18/2019-Admin_6]

Shri K. GURUMURTHY, Jt. Secy.

Note: The earlier notification regarding reconstitution of the Animal Welfare Board of India was published in the Gazette of India vide number S.O. 2222(E) dated 15th May, 2023 and subsequently amended vide No. S.O. 2353(E) dated 22nd May, 2023, No. S.O. 3911(E) dated 01st September, 2023 and No. S.O. 1817 dated 19th September, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2025

का.आ. 4377(अ) — केंद्र सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3 उप-खंड(ii) में प्रकाशित दिनांक 15 मई, 2023 की अधिसूचना का.आ. 2222 (अ) को प्रकाशन की तिथि से तत्काल प्रभाव से संशोधित करती है, अर्थात्: -

- (1) केंद्रीय सरकार, श्री राकेश गुप्ता, अध्यक्ष, गोपाल गौसदन, नई दिल्ली, उक्त अधिनियम की धारा 5(1)(छ) के अंतर्गत भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य, को, पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) नियम, 1962 के नियम 6 के प्रावधानों के अंतर्गत, वर्तमान पद से पदच्युत करती है।

[फा.सं. वी-11/18/2019-प्रशा._6]

मुथुकुमारसामी बी. संयुक्त सचिव

नोट: भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन से संबंधित पूर्व अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 2222 (अ) दिनांक 15 मई, 2023 के जरिए प्रकाशित हुई थी और जिसे का.आ. 2353(अ) दिनांक 22 मई, 2023, का.आ. 3911(अ) दिनांक 01 सितंबर, 2023, एस.ओ. 1817 दिनांक 19 सितंबर, 2024 के जरिए संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2025

S.O. 4377(E)— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and Section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby amends the notification S.O. 2222(E) dated 15th May, 2023 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section(ii) by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying with immediate effect from the date of publication, namely:-

- (1) The Central Government hereby removes Shri Rakesh Gupta, Chairman, Gopal Gausadan, New Delhi, Member of the Animal Welfare Board of India under Section 5(1)(g) of the said Act, under the provisions of Rule 6 of the Animal Welfare Board (Administration) Rules, 1962, from his present position.

[F. No. V-11/18/2019-Admin_6]

Dr. MUTHUKUMARASAMY B, Jt. Secy.

Note: The earlier notification regarding reconstitution of the Animal Welfare Board of India was published in the Gazette of India vide number S.O. 2222(E) dated 15th May, 2023 and subsequently amended vide No. S.O. 2353(E) dated 22nd May, 2023, No. S.O. 3911(E) dated 01st September, 2023 and No. S.O. 1817 dated 19th September, 2024.